संख्या-1499/2025/1024/22-2-2023-17(1168)/2022

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 08 दिसम्बर, 2025*

विषय:- जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी मुनावो बेगम पत्नी श्री सुन्दर शाह, निवासी जनपद-पीलीभीत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-12283/प्रोबे0-5-दया0/जि0का0 पीलीभीत-2865, दिनांक 17.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी मुनावो बेगम पत्नी श्री सुन्दर शाह, वार नवादा, थाना-जहानाबाद, जनपद-पीलभीत का निवासी है। महिला बन्दी द्वारा जमीन के निकास को लेकर विवाद चल रहा था इसी कारण दिनांक 15/16-08-2013 को 01 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तेजाब डालकर 03 लोगों को जला दिया, जिसमें इलाज के दौरान दिनांक 22-08-2013 को अशकारा बी की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-526/2013, भा0द0वि0 की धारा-302/34, 326ए/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (नवसृजित) पीलीभीत के दण्डादेश दिनांक 13.11.2017 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। महिला बन्दी द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किये जाने, महिला बन्दी की आयु कम होने, भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, महिला बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 30.09.2021 तक अपरिहार 08 वर्ष 01 माह 13 दिन एवं सपरिहार 09 वर्ष 03 माह 05 दिन की भोगी गयी सजा के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की सस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी मुनावो बेगम (बन्दी संख्या-287/2017) पत्नी श्री सुन्दर शाह, निवासी जनपद-पीलीभीत की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1499/2025/1024(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, पीलीभीत।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in